राजस्व अपील संख्या : 24/2022
उनवान : सोहनलाल बनाम तहसीलदार भूमिधारी देसूरी व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली (राज.)

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 24/2022
जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2022/8

अपीलाण्ट्स :–

सोहनलाल पुत्र प्रेमशंकर उर्फ भंवरलाल, जाति ब्राह्मण निवासी सादडी तहसील देसूरी जिला पाली राज.

बनाम

रेस्पोडेण्ट्स :–

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार देसूरी
2. पिंकी पुत्री प्रेमशंकर पत्नी निलेश जाति ब्राह्मण निवासी सादडी जिला पाली राज. रिसेड, तहसील राजसमंद, जिला राजसमंद
3. लालाराम पुत्र श्री प्रेमशंकर उर्फ भंवरलाल जाति ब्राह्मण निवासी रणकपुर रोड, सादडी तहसील देसूरी जिला पाली राज.

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध नामान्तरकरण संख्या 3655 आज्ञा दिनांक 11.07.2022 जो तहसीलदार देसूरी द्वारा स्वीकृत किया गया को निरस्त करवाने बाबत्।

उपस्थिति :–

1. अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता भैरालाल गोयल।
2. रेस्पोडेण्ट संख्या 03 की ओर से अधिवक्ता श्री विजेन्द्र सिंह देवडा।

–:निर्णय:–

दिनांक: 04.08.2025

अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता ने एक अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत पेश कर मौजा सादडी चक प्रथम के नामान्तरकरण संख्या 3655 आज्ञा दिनांक 11.07.2022 जो तहसीलदार देसूरी द्वारा स्वीकृत किया गया को निरस्त करवाने बावत पेश की। अपील दर्ज रजिस्टर की गई।

प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं मौजा सादडी चक प्रथम के गत खसरा नम्बर 682/01 वर्तमान खसरा नम्बर 3321 गत खसरा नम्बर 682/01 वर्तमान खसरा नम्बर 3322, गत खसरा नम्बर 682 वर्तमान खसरा नम्बर 3323, गत खसरा नम्बर 682 मी. वर्तमान खसरा नम्बर 3334, गत खसरा नम्बर 682 मी, वर्तमान खसरा नम्बर 3326, गत खसरा नम्बर 682 वर्तमान खसरा नम्बर 3327 की कृषि भूमि अपीलाण्ट के पिता स्व. प्रेमशंकर ने अपनी निजी आय से जरिये रजिस्ट्री दिनांक 10.03.1976 एवं दिनांक 08.06.1978 को खरीद की थी। खरीद से लगाकर आज दिन तक अपीलाण्ट के पिता स्व. प्रेमशंकर के साथ अपीलाण्ट का भौतिक एवं

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला पाली

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व अपील संख्या : 24/2022
उनवान : सोहनलाल बनाम तहसीलदार भूमिधारी देसूरी व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

वास्तविक कब्जा रहा है। अपीलाण्ट के पिता स्व. प्रेमशंकर ने उक्त भूमि अपने जीवनकाल में अपीलाण्ट को अंतिम वसीयत की थी। तत्पश्चात उक्त वसीयत को अपीलाण्ट ने पंजीयन करवाई गई। उसके बाद में अपीलाण्ट के पिता का दिनांक 09.03.2019 को देहान्त हो गया। उसके बाद में अपीलाण्ट ने पटवारी हल्का को स्व. प्रेमशंकर द्वारा निष्पादित की गई वसीयत को पेश किया गया एवं वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण भरने का निवेदन किया गया दिनांक 17.02.2020 को तहसीलदार देसूरी को उक्त वसीयत के आधार पर अपीलाण्ट के नाम का नामान्तरकरण भरने हेतु आवेदन पेश किया गया। तहसीलदार देसूरी ने हल्का पटवारी को उक्त वसीयत की जांच कर म्यूटेशन अपीलाण्ट के नाम से भरने का आदेश दिया। हल्का पटवारी ने तहसीलदार देसूरी के आदेश की अवहेलना करते हुए अपीलाण्ट को अंधेरे में रखकर फौतेदगी नामान्तरकरण अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट के नाम से भर कर तहसीलदार देसूरी से स्वीकृत करा दिया। हल्का पटवारी ने तहसीलदार के आदेश दिनांक 17.02.2020 की अवहेलना करते हुए एवं अपीलाण्ट को अंधेर में रखकर फौतेदगी नामान्तरकरण अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट के नाम से भर कर तहसीलदार देसूरी से दिनांक 11.07.2022 को स्वीकृत करा दिया। अतः अपील अपीलाण्ट पेश कर निवेदन है कि तहसीलदार देसूरी की आज्ञा दिनांक 11.07.2022 को निरस्त फरमावें एवं एवं अपीलाण्ट के पक्ष में अंतिम वसीयत की हुई है, जिसके आधार पर नामान्तरकरण पारित करने का हुक्म दिलावें।

यह कि, तहसीलदार देसूरी को अपीलाण्ट ने अंतिम वसीयतनामा में आवेदन पेश किया। तहसीलदार देसूरी ने दिनांक 17.02.2020 को हल्का पटवारी को उक्त वसीयत की जांच कर नियमानुसार म्यूटेशन भरने का आदेश दिया। लेकिन पटवारी द्वारा तहसीलदार को अंधेरे में रखकर दिनांक 11.07.2022 को उक्त म्यूटेशन स्वीकृत किया गया जो गलत है। पटवारी हल्का को अंतिम वसीयत स्व. प्रेमशंकर द्वारा अपीलाण्ट के पक्ष में निष्पादित की गई जिसकी फोटोप्रति एवं स्व. प्रेमशंकर का मृत्यु प्रमाण पत्र पेश करने के उपरान्त भी अन्तिम वसीयत के आधार पर जो उक्त म्यूटेशन न तो भरा गया और ना ही कोई अग्रिम कार्यवाही की। बल्कि पटवारी द्वारा फौतेदगी म्यूटेशन भरकर तहसीलदार देसूरी से दिनांक 11.07.2022 को स्वीकृत करा दिया, जो कानूनन निरस्त योग्य है। यह भी कि, मौजा सादडी के खसरा नम्बर 3321 से 3324 एवं 3327 उक्त कृषि भूमि अपीलाण्ट के पिता स्व. प्रेमशंकर ने दिनांक 10.03.1976 एवं दिनांक 18.06.1978 को खरीद की हुई थी। जिसने अपने जीवनकाल में अपीलाण्ट को अंतिम वसीयत निष्पादित की गई। उक्त वसीयत को आज दिन तक किसी ने निरस्त नहीं करवाई गई और न ही की गई। पटवारी हल्का सादडी को उक्त वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण भरना चाहिये तत्पश्चात तहसीलदार से स्वीकृत करवाना चाहिये लेकिन पटवारी हल्का ने अपीलाण्ट को अंधेरे में रखकर रेस्पोडेण्ट के पक्ष में उक्त कार्यवाही करके म्यूटेशन स्वीकृत कराया गया जो विधि अनुसार निरस्त किये जाने योग्य है। यह भी कि पटवारी हल्का को तहसीलदार ने दिनांक 17.02.2020

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व अपील संख्या : 24/2022
उनवान : सोहनलाल बनाम तहसीलदार भूमिधारी देसूरी व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

को स्व. प्रेमशंकर का मृत्यू प्रमाण पत्र एवं अन्तिम वसीयत पेश करने के उपरान्त भी उस पर कोई कार्यवाही नही की, जबकि उक्त कृषि भूमि स्व. प्रेमशंकर ने अपीलाण्ट को अन्तिम वसीयत की है एवं स्व. प्रेमशंकर के देहान्त के बाद में उक्त वसीयत प्रभाव में आ गई। उक्त वसीयत को नहीं मानने में पटवारी हल्का व तहसीलदार ने बडी भारी भूल की है।

रेस्पोडेण्ट संख्या एक व दो बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही प्रभाव में लाई जाती है।

काबिल अधिवक्ता बजतरफ रेस्पोडेण्ट संख्या 03 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि मौजा सादडी चक प्रथम के गत खसरा नम्बर 682/01 वर्तमान खसरा नम्बर 3321, गत खसरा नम्बर 682/1 वर्तमान खसरा नम्बर 3322 गत नम्बर 682 वर्तमान खसरा नम्बर 3323, गत खसरा नम्बर 682 मी. वर्तमान खसरा नम्बर 3334, गत खसरा नम्बर 682 मी वर्तमान खसरा नम्बर 3326 गत खसरा नम्बर 682 वर्तमान खसरा नम्बर 3327 की कृषि भूमि विद्यमान है जो भूमि स्व. प्रेमशंकर उर्फ भंवरलाल के नाम से दर्ज थी। स्व. प्रेमशंकर उर्फ भंवरलाल जी ने अपीलाण्ट सोहनलाल के पक्ष में किसी प्रकार की कोई वसीयत निष्पादित नहीं की है। अपीलाण्ट ने जो वसीयतनामा पेश किया है वह फर्जी, कूटरचित तथा अनरजिस्टर्ड है। स्व. प्रेमशंकर उर्फ भंवरलाल दसवी पास थे तथा वो हस्ताक्षकर करते थे, जबकि उक्त तथाकथित वसीयतनामा पर स्व. प्रेमशंकर उर्फ भंवरलाल के अंगुष्ठ निशान है तथा स्व. प्रेमशंकर उर्फ भंवरलाल अपनी मृत्यु दिनांक 09.03.2019 से पूर्व पांच वर्षो से लगातार गंभीर बीमारी से ग्रसित थे तथा वो चलने फिरने की स्थिति में नहीं थे, तथा उनका मानसिक संतुलन भी ठीक नही था तथा याददाश्त कमजोर हो गई थी तथा उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता था, जिससे भी उक्त वसीयत पर फर्जी अंगूठे स्व. प्रेमशंकर उर्फ भंवरलाल के किये गये है, जबकि स्व. प्रेमशंकर उर्फ भंवरलाल द्वारा हरिद्वार में पंण्डित की बही में किये गये हस्ताक्षर से प्रमाणित है, वहां पर भी उन्होंने ही हस्ताक्षर किये है। जिससे कि अपीलाण्ट की अपील निरस्त योग्य है।

यह भी कि, स्व. प्रेमशंकर उर्फ भंवरलाल के तीन विधिक वारिसान अपीलाण्ट सोहनलाल व रेस्पोडेण्ट लालाराम व पिंकी हुए है तथा स्व. प्रेमशंकर उर्फ भंवरलाल ने अपने जीवनकाल में ही अपनी उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि व अन्य कृषि भूमि अपने तीनों विधिक वारिसान को बहिस्सा बराबर के सुपुर्द कर दी थी, तब से उपरोक्त आराजी पर स्व. प्रेमशंकर उर्फ भंवरलाल के तीनों विधिक वारिसानों अपीलाण्ट सोहनलाल व रेस्पोडेण्ट लालाराम, पिंकी का बहिस्सा बराबर यानि 1/3, 1/3 हिस्से पर कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा स्व. प्रेमशंकर उर्फ भंवरलाल की मृत्यु के बाद राजस्व रिकॉर्ड में नामान्तरकरण संख्या 3655 दिनांक 11.07.2022 को श्रीमान तहसीलदार देसूरी द्वारा स्वीकृत किया गया है इससे भी स्पष्ट है कि स्व. प्रेमशंकर उर्फ भंवरलाल की उपरोक्त वर्णित सम्पति पर उनके तीनों विधिक वारिसान सोहनलाल, लालाराम व पिंकी का बहैसियत मालिक के कब्जा काश्त चला आ रहा है। इससे भी स्पष्ट है कि तथाकथित वसीयतनामा

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

राजस्व अपील संख्या : 24/2022
उनवान : सोहनलाल बनाम तहसीलदार भूमिधारी देसूरी व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

दिनांक 26.02.2017 कूटरचित है। यदि उक्त वसीयतनामा सही होता तो स्व. प्रेमशंकर उर्फ भंवरलाल की मृत्यु दिनांक 09.03.2019 के बाद तथाकथित वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण कार्यवाही करता परन्तु अपीलाण्ट ने किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जबकि विरासत नामान्तरकरण संख्या 3655 दिनांक 11.07.2022 को तहसीलदार द्वारा निष्पादित किया गया है। इससे यह स्पष्टतया प्रमाणित है कि उक्त आराजी पर स्व. प्रेमशंकर उर्फ भंवरलाल के तीनो विधिक वारिसान सोहनलाल, लालाराम, व पिंकी का बहैसियत मालिक के कब्जा काश्त चला आ रहा है। स्व. प्रेमशंकर उर्फ भंवरलाल के तीन पुत्र व एक पुत्री है जिसमे से प्रकाश गोद गया हुआ है तथा अब सोहनलाल, लालाराम व पिंकी तीनो ही विधिक उत्तराधिकारी व वारिसदार है तथा तीनो के नाम से फौतेदगी म्यूटेशन भरा गया जो सही है जिससे भी अपीलाण्ट की अपील निरस्त होने योग्य है।

यह है कि उक्त आराजी आबादी के नजदीक होने से व वर्तमान में जमीनों के भाव बढे हुए है इस कारण अपीलाण्ट की नियत में फर्क आने से रेस्पोडेण्ट पर दबाव बनाने की नियत से उक्त फर्जी कूटरचित तथाकथित वसीयतनामा दिनांक 26.02.2017 के आधार पर यह गलत अपील पेश की गई। उक्त वसीयतनामा पर स्व. प्रेमशंकर उर्फ भंवरलाल के फर्जी अंगुठे किये गये है, वे हमेशा हस्ताक्षर करते थे, जो कि हरिद्वार की पण्डितजी की बही से व अन्य दस्तावेज से प्रमाणित है। स्व. प्रेमशंकर उर्फ भंवरलाल के फर्जी अंगुठे कर उक्त फर्जी वसीयत उक्त जमीन को अकेले हड़पने की नियत से तैयार की गई है। जिससे अपील अपीलाण्ट निरस्त किये जाने योग्य है। यह है कि स्व. प्रेमशंकर उर्फ भंवरलाल की मृत्यू के बाद राजस्व रिकॉर्ड में नामान्तरकरण संख्या 3655 दिनांक 11.07.2022 को तहसीलदार देसूरी द्वारा स्वीकृत किया गया है। पटवारी व तहसीलदार ने पूरी तहकीकात व जांच कर उक्त फौतेदगी नामान्तरकरण सही भरा है एवं तीनों वारिसदारों का नाम दर्ज किया गया है तथा स्व. प्रेमशंकर उर्फ भंवरलाल की उक्त सम्पति पर उनके तीनों विधिक वारिसान् सोहनलाल, लालाराम व पिंकी का बहैसियत मालिक के कब्जा काश्त चला आ रहा है जिससे उक्त भूमि अकेले अपीलाण्ट के नाम दर्ज नही की जा सकती है। जिससे अपील अपीलाण्ट निरस्त योग्य है। यह है कि उक्त प्रकरण में म्यूटेशन नम्बर 3655 दिनांक 11.07.2022 को पटवारी व तहसीलदार द्वारा सही व निष्पक्ष जांच कर स्व. प्रेमशंकर उर्फ भंवरलाल के तीनों विधिक वारिसानो के नाम से फौतेदगी म्यूटेशन भरा गया है जो सही है। उक्त म्यूटेशन को निरस्त नहीं किया जा सकता है।यह है कि उक्त प्रकरण में म्यूटेशन नम्बर 3655 दिनांक 11.07.2022 को भरा गया था, लेकिन उक्त म्यूटेशन के विरुद्ध अपील म्याद बाहर पेश की गई है। उक्त अपील म्याद बाहर होने से निरस्त करने योग्य है। जो अपील अपीलाण्ट निरस्त की जावें।

यह भी कि, रेस्पोडेण्ट लालाराम व पिंकी ने स्व. प्रेमशंकर उर्फ भंवरलाल की सेवा चाकरी की है तथा समय समय पर उनका इलाज भी करवाया तथा स्व. प्रेमशंकर उर्फ भंवरलाल ने

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली
P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व अपील संख्या : 24/2022
उनवान : सोहनलाल बनाम तहसीलदार भूमिधारी देसूरी व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

अपने जीवित काल में ही अपने तीनों विधिक वारिसान सोहनलाल,लालाराम व पिंकी को उक्त भूमि मौके पर बांट कर दी तथा तीनों वारिसान के नाम से फौतेदगी म्यूटेशन भरा गया है, जो सही है। अपीलाण्ट ने गलत अपील पेश की है।

प्रकरण से सम्बन्धित मूल रिकॉर्ड अधीनस्थ न्यायालय से तलब किया गया जो प्राप्त होने पर शामिल मिसल किया गया तथा बहस उभयपक्ष सुनने का निश्चय किया गया।

काबिल अधिवक्ता अपीलाण्ट ने वक्त बहस निवेदन किया कि ज़ैर अपील विवादग्रस्त आराजी अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट संख्या दो एवं तीन के पिता की स्वअर्जित सम्पति है, पिता स्वर्गीय प्रेमशंकर जी द्वारा अपनी क्रयशुदा आराजी की अपीलाण्ट के पक्ष में वसीयत निष्पादित की गई एवं अपीलाण्ट द्वारा इस सम्बन्ध में तहसीलदार देसूरी को सूचित करने के उपरान्त भी विवादग्रस्त आराजी का अपीलाण्ट के पक्ष में रिकॉर्ड में इन्द्राज करने के स्थान पर रेस्पो. संख्या दो व तीन का भी बतौर सहखातेदार ज़रिए आलोच्य नामान्तरकरण इन्द्राज किया गया। अतः आलोच्य नामान्तरकरण निरस्त फरमावें। अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस को भी वक्त अवलोकन शामिल मिसल किया गया।

काबिल अधिवक्ता बज़तरफ रेस्पोडेण्ट संख्या तीन ने उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए वक्त बहस निवेदन किया कि अपीलाण्ट द्वारा जिस वसीयत को आधार बनाया गया है, वो वसीयत ही फर्जी व कूटरचित है। इस पर स्व. प्रेमशंकर के अंगुष्ठ निशान कूटरचित है, क्यों कि श्री प्रेमशंकर हस्ताक्षर करते थे। यह भी, कि जब आलोच्य नामान्तरकरण संख्या 3655 तस्दीक किया गया, तब तक उक्त तथाकथित वसीयत अपंजीकृत थी तथा अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर कोई अधिकार सृजित नहीं होते है। विवादग्रस्त आराजी पर बतौर सहखातेदार आज भी अप्रार्थी का कब्जा है जो स्वर्गीय प्रेमशंकर की मृत्यु के बाद से बदस्तूर चला आ रहा है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज फरमाई जावें।

वकुलाय फरीकेन की बहस सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं आलोच्य नामान्तरकरण की मूल परत का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा आलोच्य नामान्तरकरण संख्या 3655 दिनांक 11.07.2022 को इस आधार पर चुनौति दी गई है कि विवादग्रस्त आराजी स्वर्गीय प्रेमशंकर जी की स्वअर्जित सम्पति थी तथा उक्त आराजी के सम्बन्ध में एक वसीयत दिनांक 26.02.2017 स्व. प्रेमशंकर द्वारा अपीलाण्ट के पक्ष निष्पादित की गई, जो दिनांक 29.06.2022 को पंजीकृत करवाई गई है। स्व. प्रेमशंकर की दिनांक 09.03.2019 को मृत्यु उपरान्त ज़ैर निगरानी विवादग्रस्त आराजी का नामान्तरकरण माफ़िक वसीयत अपीलाण्ट के पक्ष में दर्ज करने के स्थान पर स्व. प्रेमशंकर के अन्य वारिस रेस्पोडेण्ट संख्या दो एवं तीन के पक्ष में भी स्वीकृत किया गया।

यह निर्विवाद सत्य है कि विवादग्रस्त आराजी ग्राम सादडी चक प्रथम खसरा संख्या 3321 से 3324 तथा 3327 स्व. प्रेमशंकर जी की स्वअर्जित क्रयशुदा आराजी है जो कि पत्रावली पर

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व अपील संख्या : 24/2022
उनवान : सोहनलाल बनाम तहसीलदार भूमिधारी देसूरी व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपलब्ध विक्रय दस्तावेजों से भी प्रमाणित होता है तथा अप्रार्थीपक्ष द्वारा भी सुनवाई के दौरान किसी भी स्तर पर इस तथ्य का खण्डन नहीं किया गया है कि उक्त सम्पति स्व. प्रेमशंकर की स्वअर्जित सम्पति है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी हिन्दु व्यक्ति की निर्वसियत मृत्यु होने पर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 08 के प्रावधानान्तर्गत उसके प्रथम श्रेणी के वारिसों में उसकी सम्पति विभक्त होगी। स्वअर्जित सम्पति के सम्बन्ध में यदि कोई वसीयत निष्पादित की गई है, तो अन्तिम वसीयत अनुरुप सम्पति हस्तान्तरित होगी। अपीलार्थी द्वारा अपील मीमों के आधार के रुप में वसीयत दिनांक 26.02.2017 (पंजीयन दिनांक 29.06.2022) प्रस्तुत कर आलोच्य नामान्तरकरण को चुनौति पेश की गई है। अप्रार्थीपक्ष द्वारा उक्त वसीयत दिनांक 26.02.2017 को फर्जी व कूटरचित करार देते हुए अपील खारिज करने का निवेदन किया गया।

इस सम्बन्ध में न्यायालय हाजा का यह विनम्र अभिमत है कि किसी दस्तावेज के फर्जी अथवा कूटरचित होने के सम्बन्ध में जाँच करने अथवा अन्तिम अभिमत दने हेतु यह न्यायालय सक्षम नहीं है। अपितु यह क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को प्राप्त है। अतः न्यायालय हाजा के समक्ष अभिनिर्धारण हेतु यह प्रश्न शेष रहता है कि स्व. प्रेमशंकर की क्रयशुदा आराजी के सम्बन्ध में उनकी मृत्यु उपरान्त तहसीलदार देसूरी द्वारा पारित आलोच्य नामान्तरकरण कार्यवाही विधि अनुकूल थी अथवा नहीं?

इस सम्बन्ध में अपीलार्थी ने अपील मीमों में यह तर्क प्रस्तुत किया है कि उनके द्वारा तहसीलदार देसूरी के समक्ष दिनांक 25.03.2019 को एक आवेदन मय वसीयत दस्तावेज एवं मृत्यु प्रमाण पत्र इस आशय का पेश किया गया कि खसरा संख्या 3321 से 3324 एवं खसरा संख्या 3327 कुल रकबा 1.42 हैक्टेयर के सम्बन्ध में नोटरी तस्दीकशुदा वसीयतनामा दिनांक 26.02.2017 के आधार पर अपीलाण्ट के पक्ष में नामान्तरकरण एवं राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज के आदेश पारित किये जाए। तहसीलदार देसूरी द्वारा कुछ दस्तावेज चाहे जाने पर अपीलाण्ट द्वारा पुनः एक आवेदन दिनांक 17.02.2020 को तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत कर वसीयतशुदा विवादग्रस्त आराजी का नामान्तरकरण अपीलार्थी के पक्ष में दर्ज करने का निवेदन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से यह जाहिर होता है कि अपीलाण्ट श्री सोहनलाल के उक्त आवेदन दिनांक 17.02.2020 के सन्दर्भ में ज़रिए आदेश क्रमांक/ 60 दिनांक 17.02.2020 तहसीलदार देसूरी ने पटवारी हल्का सादडी चक प्रथम को यह निर्देश जारी किए कि यदि किसी प्रकार का विवाद, स्थगन या न्यायालय वाद विचाराधीन नहीं हो, तो नियमानुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही सम्पादित करे एवं पालना से अवगत करावें। अधीनस्थ न्यायालय से तलब मूल नामान्तरकरण परत से जाहिर होता है कि हल्का पटवारी द्वारा अपीलाण्ट सोहनलाल के पक्ष में माफिक वसीयत नामान्तरकरण दर्ज करने की वजाए स्व. प्रेमशंकर के समस्त वैध

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
वाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व अपील संख्या : 24/2022
उनवान : सोहनलाल बनाम तहसीलदार भूमिधारी देसूरी व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

वारिसों जिसमें रेस्पो. संख्या दो व तीन भी सम्मिलित है, के पक्ष में नामान्तरकरण की कार्यवाही निष्पादित की गई।

विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि विवादित नामान्तरकरण के सम्बन्ध में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (2) के अन्तर्गत तहसीलदार को सक्षम अधिकार प्राप्त है। आवेदक/अपीलाण्ट द्वारा तहसीलदार देसूरी को प्रस्तुत आवेदन दिनांक 25.03.2019 मय अपंजीकृत वसीयत पर तहसीलदार से यह अपेक्षित था कि उपरोक्त धारा 135 (2) के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अपंजीकृत वसीयत की सम्यक् जाँच उपरान्त तस्दीक की जाती तथा माफिक निर्णय हल्का पटवारी को नामान्तरकरण हेतु निर्देशित किया जाता है। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल द्वारा भी प्रकरण बउनवान "Brij sunder & othr. Vs. Kamlesh Kumar & othr." (2009 RRD 183) में यही प्रतिपादित किया गया है कि " Mutation should not be opened without proper enquiry in case of unregistered will."

किन्तु हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार देसूरी द्वारा उपरोक्त प्रक्रिया का अनुसरण करने के स्थान पर हल्का पटवारी को अस्पष्ट निर्देशों (पत्र दिनांक 17.02.2020) के साथ प्रकरण हस्तान्तरित कर दिया एवं आवेदक/अपीलाण्ट के प्रार्थना पत्र दिनांक 25.03.2019 तथा 17.02.2020 पर कोई वैध निर्णय पारित किए बिना ही आलोच्य नामान्तरकरण के द्वारा स्व. प्रेमशंकर के समस्त वैध वारिसों के नाम राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज कर दिया गया। इससे यह सिद्ध होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान किए बिना तथा उनके द्वारा प्रस्तुत दोनों आवेदनों पर उचित निर्णय पारित किए बिना ही आलोच्य नामान्तरकरण की कार्यवाही सम्पादित की गई जबकि माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल ने प्रकरण बउनवान Bhagwan Das Vs. Kishan Das (RRD 2012 Pg. 83) में यह स्पष्ट रुप से प्रतिपादित किया है कि "The Perusal of file reveals that disputed order was passed by Tehsildar without hearing the petition. Every order passed should have been passed after hearing parties."

इस प्रकार उपरोक्त विश्लेषण तथा सन्दर्भित न्यायिक दृष्टान्तों के आलोक में यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार देसूरी द्वारा आलोच्य नामान्तरकरण संख्या 3655 दिनांक 11.07.2022 को स्वीकृत करने से पूर्व विधिसम्मत प्रक्रिया की पालना नहीं की गई।

अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत नामान्तरकरण अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार की जाती है तथा ग्राम सादडी चक प्रथम के नामान्तरकरण संख्या 3655 दिनांक 11.07.2022 को खारिज किया जाता है। साथ ही प्रकरण तहसीलदार देसूरी को पुनः प्रेषित कर निर्देश दिए जाते हैं कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर समस्त पक्षकारों को सुनवाई तथा

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली
P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व अपील संख्या : 24/2022

उनवान : सोहनलाल बनाम तहसीलदार भूमिधारी देसूरी व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

दस्तावेज प्रस्तुति का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए सम्यक जाँच उपरान्त नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 04.08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड लौटाया जाए।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

(शैलेन्द्र सिंह)
RAS
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
बाली

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली